

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली.110 001 Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi- 110 001



सं./No. 17-02(02)/50/HR-III/CHS

Dated 03/03/2025

प्रेषक: संयुक्त सचिव (प्रशासन) From: The Joint Secretary (Admn.)

सेवा में : सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक To: The Directors of all CSIR National Labs/Instts.

- विषयः सीएसआईआर की प्रयोगशालाओं/संस्थानों के क्षेत्रीय केंद्रों/इकाइयों में अलग आंतरिक समितियों के गठन के संबंध में।
- Sub: Constitution of separate Internal Committees at Regional Centers/Units of CSIR Labs/Instts.reg.

महोदय/महोदया,Sir/Madam,

यह देखा गया है कि सीएसआईआर की कई प्रयोगशालाओं/संस्थानों के क्षेत्रीय केंद्र उनके मूलभूत स्थानों से अलग स्थित हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 [एसएचडब्ल्यूडब्ल्यू (पीपीआर) अधिनियम, 2013] की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार, अलग-अलग स्थानों पर प्रशासनिक इकाइयों वाले कार्यस्थलों के लिए ऐसी प्रत्येक इकाई में आंतरिक समितियाँ (आईसी) गठित करना आवश्यक है।

It has been observed that several CSIR Laboratories/Institutes have regional centers located outside their primary locations. As per the provisions of Section 4 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition, and Redressal) Act, 2013 [SHWW (PPR) Act, 2013], workplaces with administrative units at different locations are required to constitute Internal Committees (ICs) at each such unit.

## एसएचडब्ल्यूडब्ल्यू(पीपीआर) अधिनियम, 2013 की धारा 4 में प्रावधान है:

4. आंतरिक समिति का गठन —(1) किसी कार्यस्थल का प्रत्येक नियोजक, लिखित आदेश द्वारा "आंतरिक समिति" नामक एक समिति का गठन करेगा : परंतु जहां कार्यस्थल के कार्यालय या प्रशासनिक यूनिटें भिन्न –भिन्न स्थानों या खंड या उपखंड स्तर पर अवस्थित हैं, वहां आंतरिक समिति सभी प्रशासनिक यूनिटों या कार्यालयों में गिठत की जाएगी।

1

## Section 4 of the SHWW(PPR) Act, 2013, provides:

"4. Constitution of Internal Committee. — (1) Every employer of a workplace shall, by an order in writing, constitute a Committee to be known as the 'Internal Committee': Provided that where the offices or administrative units of the workplace are located at different places or divisional or sub-divisional level, the Internal Committee shall be constituted at all administrative units or offices."

हालाँकि, यह बात संज्ञान में आई है कि कई सीएसआईआर प्रयोगशालाओं/संस्थानों ने अभी तक अपने क्षेत्रीय केंद्रों के लिए अलग आईसी का गठन नहीं किया है। एसएचडब्ल्यूडब्ल्यू (पीपीआर) अधिनियम, 2013 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, संबंधित सीएसआईआर प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशकों से अनुरोध है कि वे अपने क्षेत्रीय केंद्रों/यूनिटों, जिनमें दस या अधिक कर्मचारी हों, के लिए अलग आईसी का गठन करने हेतु तत्काल कदम उठाएँ जो संबंधित सीएसआईआर प्रयोगशाला/संस्थान के मूलभूत स्थान से बाहर स्थित हों।

However, it has come to notice that many CSIR Laboratories/Institutes have not yet constituted separate ICs for their regional centers. To ensure compliance with the SHWW (PPR) Act, 2013, the Directors of the concerned CSIR Labs/Institutes are requested to take immediate steps to constitute separate ICs for their regional centers/units with ten or more employees, located outside the primary location of the respective CSIR Laboratory/Institute.

इस वैधानिक आवश्यकता का अनुपालन सुनिश्चित करने में आपका सहयोग अत्यधिक सराहनीय है।

Your cooperation in ensuring compliance with this statutory requirement is highly appreciated.

(अनीता सिंह)/ (Anita Singh) उप सचिव (एचआर-III)/Deputy Secretary(HR-III)